राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6049/2022

डॉ. राम अवतार मालव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा सोसायटी, जयपुर।
3. उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
4. डीन एवं नियंत्रक, झालावाड़ चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.11.2022

आदेश की दिनांक : 29.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद पर न्यूरो सर्जरी में पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति न्यूरो सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आदेश दिनांक 08.01.2015 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी एमसीआई के अनुसार न्यूरो सर्जरी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति योग्य था और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी में प्रोफेसर के पद के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार किए जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा

उक्त संबंध में दिनांक 05.08.2019 को अभ्यावेदन दिया गया तथा निदेशक, राजस्थान चिकित्सा शिक्षा को पत्र भी लिखा। परंतु अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.08.2022 के द्वारा जनरल सर्जरी प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 27985/2018 प्रस्तुत की और मामला लंबित होने के दौरान अपीलार्थी को एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के पद पर पदोन्नत किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को न्यूरो सर्जरी सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया, परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 के द्वारा जनरल सर्जरी प्रोफेसर पद के लिए अपीलार्थी के नाम पर विचार किया गया। जबकि अपीलार्थी सहायक प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के पद पर वर्ष 2015 में नियुक्त किया गया था और उक्त पद के अनुभव के आधार पर अपीलार्थी एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के पद पर पदोन्नति योग्य है, परंतु अपीलार्थी को जनरल सर्जरी के पद पर पदोन्नत किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद पर न्यूरो सर्जरी में पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को न्यूरो सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के पद पर नियुक्ति दी गई थी, परंतु झालावाड मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट तत्समय नहीं होने से सर्जरी विभाग में पदस्थापित किया गया था, जिस पर अपीलार्थी वर्तमान तक सर्जरी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा है और उसी के चलते सर्जरी विभाग में प्रमोशन किया गया है। झालावाड मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी विभाग सृजित कर असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी का पद स्वीकृति आदेश दिनांक 06.07.2018 को हुआ और आज दिनांक तक भी न्यूरो सर्जरी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पद स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार अपीलार्थी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि आदेश दिनांक 06.07.2018 के द्वारा न्यूरो सर्जरी का पद

सृजित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी न्यूरो सर्जरी सहायक प्रोफेसर के पद पर डीएसीपी के अंतर्गत पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु अपीलार्थी को जनरल सर्जरी प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति न्यूरो सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आदेश दिनांक 08.01.2015 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी एमसीआई के अनुसार न्यूरो सर्जरी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति योग्य था और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी में प्रोफेसर के पद के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार किए जाने योग्य है। परंतु अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.08.2022 के द्वारा जनरल सर्जरी प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी सहायक प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के पद पर वर्ष 2015 में नियुक्त किया गया था और अनुभव होने के आधार पर अपीलार्थी एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के पद पर पदोन्नति योग्य है। जहां तक अपीलार्थी को एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी का पद नहीं होने के कारण अपीलार्थी को न्यूरो सर्जरी में पदोन्नत नहीं किया गया है, परंतु आदेश दिनांक 06.07.2018 के द्वारा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी विभाग सृजित कर असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी का पद स्वीकृति आदेश जारी हो चुका था और इस प्रकार अपीलार्थी हमारे मत में उक्त पद पर कार्य करने के योग्य भी था, परंतु विभाग द्वारा उसे जनरल सर्जरी में पदोन्नत किया गया, परंतु ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार

आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य